माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2013 पुनरीक्षण याचिका — R-1270-PBR/13

1. दिनेश कुमार सेन पुत्र श्री रामप्रसाद सेन, आयु-40 वर्ष, व्यवसाय-कृषि

2. कल्याण प्रसाद पुत्र श्री रामप्रसाद, आयु वर्ष, व्यवसाय-कृषि,

निवासीगण- ग्राम आनंदपुर, तहसील- लटेरी, जिला- विदिशा म.प्र.

....याचिकाकर्तागण

बनाम

1. संतोष कुमार अहिरवार पुत्र श्री पन्नालाल अहिरवार निवासी- ग्राम आनंदपुर, तहसील- लटेरी, जिला- विदिशा म.प्र.

2. मध्य प्रदेश शासन

...रेस्पोडेन्टस

सुदामा राम शर्मा
शपथ आयुक्त
ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

<u>याचिका अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार लटेरी वृत कंमाक-1 द्वारा प्रकरण कंमाक-162/अ-6/11-12 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2013</u>

सम्माननीय न्यायालय

याचिकाकर्ता की ओर से आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है कि :-

1. यहकि, रेस्पोडेन्ट कंमाक-1 ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता प्रश्नाधीन भूमि

R- 1270-PBR/13

16-5-16	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार लटेरी व्दारा प्रकरण कमांक 162 अ–6/ 2011–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 6–2–13 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ श्री त्रिपाठी एंव श्री त्यागी व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण कमांक 162 अ–6/ 2011–12 में तहसीलदार व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 6–2–13 के अवलोकन से स्थिति यह है कि तहसीलदार के समक्ष आपत्तिकर्ता (आवेदकगण) व्दारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण में विचाराधीन भूमि के स्थल निरीक्षण की मॉग की थी, जिसे तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 6–2–13 से आपत्ति आवेदन निरस्त कर दिया है जिसके विरूद्व यह निगरानी है। तहसीलदार लटेरी के प्रकरण कमांक 162 अ–6/ 2011–12 के अवलोकन से

पाया गया कि उभय पक्ष ने तहसीलदार के समक्ष दिनांक 18-3-13 को राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया है और तहसीलदार व्दारा राजीनामे के आधार पर अंतिम आदेश दिनांक 26-3-13 पारित करके रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 59 दिनांक 27-4-12 अनुसार नामान्तरण कर दिया है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी व्यर्थ हो चुकी है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी व्यर्थ हो जाने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है ।

सदस्य